

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 1006516/2014

शशांक कुमार सिंह

...प्रार्थी (गण)

बनाम

राज्य

... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – अम्बरीश कुमार, अम्बरीश कुमार

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 14

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अम्बरीश कुमार, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मयंक सिन्हा को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-32, लखनऊ द्वारा वाद संख्या 2020/2013 में पारित दिनांक 03.10.2013 के आदेश की वैधता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 467, 468, 471 के अंतर्गत अपराधों से मुक्त करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध से मुक्त किए जाने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 550/2013 दायर कर उपरोक्त आदेश को चुनौती दी थी, जिसे विद्वान विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई., न्यायालय संख्या-1, लखनऊ द्वारा दिनांक 30.08.2014 को पारित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा इस पुनरीक्षण आदेश की वैधता को भी चुनौती दी गई है।
3. संक्षेप में वाद के तथ्य यह हैं कि विपक्षी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध थाना- गाजीपुर, जिला लखनऊ में धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 454/2008 दर्ज

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर के रूप में कार्यरत था और उसका केनरा बैंक, मुंशी पुलिया शाखा में एक आवर्ती जमा खाता था, जहाँ याचिकाकर्ता शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत था। याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को पानीगाँव, लखनऊ में स्थित मकान संख्या 422/9 खरीदने के लिए प्रेरित किया और कहा कि शिकायतकर्ता को मात्र 2,00,000/- रुपये जमा करने होंगे और शेष 6,00,000/- रुपये की राशि बैंक द्वारा दिए गए ऋण के माध्यम से भुगतान की जाएगी और बैंक का एन.पी.ए. खाता बंद कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता मात्र 1,70,000/- रुपये का प्रबंध कर सका और याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के आवर्ती जमा खाते में जमा राशि के बदले 30,000/- रुपये का ऋण दिया। शिकायतकर्ता ने संपत्ति खरीदने के लिए मार्जिन मनी के रूप में पूरी 2,00,000/- रुपये की धनराशि जमा की।

4. दिनांक 17.03.2008 को शिकायतकर्ता को बैंक से दिनांक 22.02.2008 का पत्र प्राप्त हुआ, जिसे वास्तव में दिनांक 14.03.2008 को पोस्ट किया गया था, जिसमें उसके ऋण प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर दिया गया था और कहा गया था कि शिकायतकर्ता द्वारा 6,00,000/- रुपये की शेष राशि जमा करने में विफल रहने पर मार्जिन मनी जब्त कर ली जाएगी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने रिश्ते के रूप में 20,000/- रुपये की मांग की थी।

5. शिकायतकर्ता ने ऋण प्राप्त करने के लिए एल.आई.सी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में प्रार्थनापत्र किया था, लेकिन एल.आई.सी. ने दिनांक 27.03.2008 को यह कहते हुए ऋण प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया कि प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में सरफेसी अधिनियम की दृश्यता उपलब्ध नहीं थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता बैंक प्रबंधक ने शिकायतकर्ता के 2,00,000/- रुपये हड़प लिए हैं।

6. अन्वेषण के बाद, अन्वेषण अधिकारी ने धारा 406, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों के लिए दिनांक 24.06.2008 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

7. याचिकाकर्ता ने उन्मोचन हेतु एक प्रार्थनापत्र दायर किया जिसमें कहा गया कि वह केनरा बैंक के शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा था। उसने शिकायतकर्ता से कोई धन नहीं लिया था। धन शिकायतकर्ता द्वारा बैंक से संपत्ति खरीदने के लिए बैंक में जमा किया गया था। मार्जिन मनी का भुगतान करने के बाद, शिकायतकर्ता शेष राशि का भुगतान नहीं कर सका और इसलिए, बैंक ने शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गई मार्जिन मनी को जब्त कर लिया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. आक्षेपित आदेश दिनांक 03.10.2013 द्वारा उन्मोचन प्रार्थनापत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और याचिकाकर्ता को धारा 406, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों से उन्मोचित कर दिया गया है, लेकिन उसे धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध से उन्मोचित नहीं किया गया है।

9. वर्तमान मामले में दिनांक 10.10.2014 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जो इस प्रकार है:-

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। याचिकाकर्ता का वाद यह है कि संबंधित समय पर याचिकाकर्ता केनरा बैंक का शाखा प्रबंधक था। वैशाली एन्क्लेव, इंदिरा नगर, लखनऊ के पास स्थित भूखंड संख्या 422 नामक एक संपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विक्रय के लिये प्रस्तुत किया गया था और उस आशय का एक विज्ञापन बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रकाशित किया गया था। अभियोजन वाद इस आशय का है कि सूचनाकर्ता को अभियुक्त (याचिकाकर्ता) द्वारा उक्त संपत्ति खरीदने के लिए बहलाया गया था और उस उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता ने अग्रिम धन के रूप में 2,00,000/- रुपये जमा किए थे। इसके बाद अभियोजन वाद यह है कि बाद में यह पता चला कि उक्त संपत्ति के गिरवीकर्ता द्वारा किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित कर दी गई थी, फिर भी, सूचनाकर्ता की अग्रिम राशि जब्त कर ली गई क्योंकि वह उस विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार शेष राशि जमा नहीं कर सका, जिसके द्वारा संपत्ति विक्रय हेतु प्रस्तुत की गई थी। अभियोजन वाद यह है कि चूंकि उस संपत्ति को, जो पहले से ही हस्तांतरित की जा चुकी थी, विक्रय के लिए प्रस्तुत किया गया था और याचिकाकर्ता के प्रलोभन पर सूचनाकर्ता ने संपत्ति के क्रय हेतु के लिए राशि जमा की थी, जिसे उचित कारण के बिना जब्त कर लिया गया था, इसलिए शाखा प्रबंधक विभिन्न अपराधों के लिए दोषी था।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में पुलिस द्वारा धारा 406, 420, 467, 468 और 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता ने धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उन्मोचन हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिस पर उसे धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध को छोड़कर सभी अपराधों से उन्मोचित कर दिया गया। धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध से संबंधित सीमा तक उन्मोचन प्रार्थनापत्र की अस्वीकृति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण दायर किया, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विधि के अंतर्गत किसी गिरवीकर्ता पर गिरवी रखी गई वस्तु को तृतीय पक्ष को हस्तांतरित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चूंकि बैंक गिरवीदार था और जो हस्तांतरण सूचनाकर्ता द्वारा कथित रूप से किया गया था, वह बैंक के पास संपत्ति के गिरवी होने के बाद गिरवीकर्ता द्वारा किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को उसे नीलामी पर रखकर कोई अपराध करने वाला नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का अन्य तर्क यह है कि स्वीकार्य रूप से वह नोटिस जिसके आधार पर सूचनाकर्ता द्वारा अग्रिम राशि जमा की गई थी, बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया था, जो याचिकाकर्ता से पद में उच्च था, इसलिए बेईमानी तो दूर की बात है, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई प्रतिरूपण किया गया था जिससे उसे धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके।

इस मामले पर गहन विचार की आवश्यकता है।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने राज्य-प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया है।

प्रतिवादी संख्या 2 को चार सप्ताह अवधि के साथ नोटिस जारी करें।

तामिल के लिये एक सप्ताह के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

इस याचिका को दिनांक 24.11.2014 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करें एवं इस दिनांक तक प्रतिवादी प्रतिशपथपत्र दाखिल कर सकते हैं।

सूचीबद्ध होने की अगली तिथि तक, धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 32, लखनऊ की न्यायालय में लंबित आपराधिक वाद संख्या 2020/2013 में आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी।"

10. कार्यालय की रिपोर्ट दिनांक 19.10.2023 के अनुसार, विपक्षी संख्या 2 को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया नोटिस वापस प्राप्त नहीं हुआ है और उसके बाद विपक्षी संख्या 2 को नए नोटिस भेजे गए थे और कार्यालय ने पुनः दिनांक 10.07.2025 को रिपोर्ट दी है कि जारी किया गया नया नोटिस भी वापस प्राप्त नहीं हुआ है। इसके पश्चात, कार्यालय ने दिनांक 03.12.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि विपक्षी संख्या 2 को जारी किया गया नोटिस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पर्याप्त माना जाता है, फिर भी विपक्षी संख्या 2 रिट याचिका का विरोध करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ है और उसने प्रतिशपथपत्र या अंतरिम आदेश दिनांक 10.10.2014 को रद्द करने के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल नहीं करने का विकल्प चुना है। राज्य ने भी कोई प्रतिशपथपत्र या अंतरिम आदेश दिनांक 10.10.2014 को रद्द करने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 10.10.2014 के आदेश में दर्ज अभिवचनों को दोहराया है।

12. विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में यह दर्ज किया है कि प्रश्नगत संपत्ति पहले ही एक सूर्य कुमार मिश्रा को बेची जा चुकी थी और वही संपत्ति शिकायतकर्ता को नहीं बेची जा सकती थी। हालांकि, याचिकाकर्ता के इस तर्क का अभियोजन पक्ष या शिकायतकर्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया है कि जिस नोटिस के आधार पर मुखबिर द्वारा अग्रिम राशि जमा की गई थी, वह याचिकाकर्ता द्वारा जारी नहीं किया गया था और यह बैंक के एक अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया था जो याचिकाकर्ता से उच्च पद पर था। प्रथम दृष्टया यह स्थापित करने के लिए भी कोई सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से कोई प्रतिरूपण नहीं किया था, और बेईमानी पूर्ण प्रतिरूपण तो कदापि नहीं किया था और इसलिए याचिकाकर्ता पर धोखाधड़ी के अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

13. विचारण न्यायालय ने यह धारित किया है कि केनरा बैंक द्वारा 2,00,000/- रुपये की जब्ती पक्षकारों के मध्य विवाद का मुख्य कारण है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 03.10.2013 में उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 15.04.2008 और 30.04.2008 को विधिक नोटिस भेजे थे, जिनकी प्रतियां रिट याचिका के संलग्नक संख्या 20 और 22 के रूप में संलग्न की गई हैं। शिकायतकर्ता ने मात्र धनराशि वापस करने की मांग की थी, जिसमें विफल रहने पर उसे न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी धोखाधड़ी या जालसाजी का कोई आरोप नहीं था।

14. उपरोक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र इस कारण से दर्ज की गई है क्योंकि शिकायतकर्ता ने केनरा बैंक को भुगतान की गई धनराशि की वापसी की मांग व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता (याचिकाकर्ता) से की थी। चूंकि धनराशि शिकायतकर्ता (याचिकाकर्ता) को नहीं दी गई थी, इसलिए धनराशि को उसके द्वारा वापस नहीं किया गया था। धनराशि केनरा बैंक को दी गई थी और बैंक से कोई धनवापसी का दावा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नहीं किया गया था। केनरा बैंक को भुगतान की गई धनराशि को वापस करने में याचिकाकर्ता की विफलता पर, विपक्षी संख्या 2 शिकायतकर्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की।

15. याचिकाकर्ता शाखा प्रबंधक के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था और ऐसा कोई आरोप नहीं था कि उसने अपने कर्तव्यों के पालन में सद्भावनावश कार्य नहीं किया था। क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की शेष राशि जमा करने में विफल रहने पर बैंक के पास जमा मार्जिन मनी को वापस न करना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है और इसलिए याचिकाकर्ता के विचारण का कोई मामला नहीं बनता है।

14. पूर्वगामी चर्चाओं के आलोक में, मेरा सुविचारित मत है कि धोखाधड़ी का अपराध करने का आरोप निराधार है और वह उन्मोचित होने का अधिकारी है। तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 32, लखनऊ द्वारा वाद संख्या 2020/2013 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 03.10.2013 और विद्वान विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई., न्यायालय संख्या 1, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30.08.2014 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। याचिकाकर्ता को धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध से भी उन्मोचित किया जाता है।

30 मार्च, 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)